सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I** दिनांक: **27.05.2026**

संभागीय आयुक्त,
नागपुर संभाग,
विभागीय आयुक्त कार्यालय,
पुराना सचिवालय भवन, सिविल लाइंस,
नागपुर, महाराष्ट्र 440001
ई-मेल: divcom.nagpur@maharashtra.gov.in
Tel. No: 0712-2532123

विषय: अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मुक्काम -चुलोद, पोस्ट-दतोरा, तहसील एवं जिला-गोंदिया, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 23.06.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2025 एवं 22.12.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 15.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे,
मुक्काम -चुलोद, पोस्ट-दतोरा,
तहसील एवं जिला-गोंदिया, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)

(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15/07/2025

1. संभागीय आयुक्त नागपुर
   विभागीय आयुक्त कार्यालय,
   पुराना सचिवालय भवन, सिविल लाइंस,,
   नागपुर, महाराष्ट्र 440001
   Email Id: divcom.nagpur@maharashtra.gov.in
   Tel. No: 0712-2532123

विषय: **श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मु. चुलोद, पोस्ट दतोरा, तह. एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) - अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काविज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे से दिनांक 23/06/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **30 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

O/C

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे,
मु. चुलोद, पोस्ट दतोरा,
तह. एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र),
Mobile No:9529331969

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 1204 05
दिनांक / Date 16/07/25

ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

Upload

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes
भारत सरकार
Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

स्मरण पत्र

फा. सं.: NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 22/12/2025

संभागीय आयुक्त नागपुर
विभागीय आयुक्त कार्यालय,
पुराना सचिवालय भवन, सिविल लाइंस,,
नागपुर, महाराष्ट्र 440001
Email Id: divcom.nagpur@maharashtra.gov.in
Tel. No: 0712-2532123

विषय: श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मु. चुलोद, पोस्ट दतोरा, तह. एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) - अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक : 15-07-2025

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर एन.सी.एस.टी. के समसंख्यक नोटिस/पत्र दिनांक **15-07-2025** के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ हैं कि प्रकरण में **तथ्य एवं टिप्पणियॉ** अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से **15 दिनों** के भीतर, प्रकरण में तथ्य एवं टिप्पणियॉ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) को डाक, वैयक्तिक रूप से या अन्य संचार माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि आयोग को निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अंतर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपकी या आपके प्रतिनिधि की, आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित के लिए 'समन' जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

O/C

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 113 14
दिनांक / Date 23/01/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे,
मु. चुलोद, पोस्ट दतोरा,
तह. एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र),
Mobile No:9529331969